

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

जयपुर, दिनांक 6 JUN 2016

क्रमांक :- प.10(20)आयु./2015

--: आदेश :-

राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक सेवा नियम 1973 (संशोधन 2013) के अन्तर्गत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 4/2013 के परिपेक्ष्य में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11.12.2015 एवं दिनांक 29.03.2016 द्वारा आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को नियुक्ति/पदस्थापन किया जाकर क्रमशः दिनांक 23.12.2015 एवं 12.04.2016 तक कार्यग्रहण करने के निर्देश दिये गये थे पुनः जारी अंतिम नोटिस दिनांक 26.04.2016 तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले आयुर्वेद चिकित्साधिकारी पद के चयनित अभ्यर्थियों का इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17.05.2016 के द्वारा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जाने के परिणामस्वरूप उक्त विज्ञप्ति के तहत अवशिष्ट रिक्त पदों पर राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर से प्राप्त आरक्षित सूची की वरीयता अनुसार संवर्गवार निम्नानुसार अभ्यर्थियों को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर रनिंग पे-बैंड 15600-39100 ग्रेड पे-5400 (संख्या 15) में 2 वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सालय/औषधालयों में किया जाता है, इन नियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को परीवीक्षाकाल के दौरान नियमानुसार नियत पारश्रमिक 22180/- (अक्षरे बाइस हजार एक सौ अरसी रुपये/-) मासिक दिया जायेगा :-

क्र. सं.	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म तिथि	लिंग	वर्ग	प्राप्तांक	पदस्थापन स्थान
1	MAN MOHAN SHARMA	BABU LAL SHARMA	06-02-72	MALE	GEN	63.23	राज.आयु.औष. धुआ. टोंक
2	ASHOK KUMAR JOSHI	DURGA SHANKAR JOSHI	20-10-66	MALE	GEN	62.78	राज.आयु.औष. जीरावल, सिरौही
3	PANKAJ TRIVEDI	DINESH TRIVEDI	20-01-84	MALE	GEN	62.28	राज.आयु.औष. सांखू, सीकर
4	RAM KISHAN SHARMA	BANWARI LAL SHARMA	01-04-68	MALE	GEN	62.10	राज.आयु.औष. पवालिया, टोंक
5	RANWEER SINGH RAJPUROHIT	LAXMAN SINGH RAJPUROHIT	27-01-88	MALE	GEN	62.05	राज.आयु.औष. भाडखा, बाडमेर
6	RISHI KUMAR	OM PRAKESH	07-08-76	MALE	GEN	61.88	राज.आयु.औष. आसलपुर, जयपुर ब
7	HITENDRA PANDYA	DINESH CHANDRA PANDYA	20-06-85	MALE	GEN	61.69	राज.आयु.औष. अमर सिंह का गढा, बांसवाडा
8	VINEET KUMAR JAIN	ASHOK KUMAR GODHA	18-09-86	MALE	GEN	61.69	राज.आयु.औष. तसवारिया, भीलवाडा
9	ROOPENDRA SINGH BHATI	MAHIP SINGH BHATI	23-10-87	MALE	GEN	61.36	राज.आयु.औष. नाचना, जैसलमेर
10	KRISHAN GOPAL SHARMA	OM PRAKASH SHARMA	30-01-87	MALE	GEN	61.26	राज.आयु.औष. झूठा, पाली
11	BHAWANI SINGH RATHORE	NARPAT SINGH RATHORE	16-06-83	MALE	GEN	61.23	राज.आयु.औष. झूगरी खुर्द, जयपुर ब
12	MUSKAN ARORA	BHAVNESH GROVER	11-10-88	FEMALE	GEN	60.74	राज.आयु.चिकि. हनुमानगढ
13	AYUSHI NIGAM	S P NIGAM	15-11-88	FEMALE	GEN	60.46	राज.आयु.औष. स्वरूपगंज, सिरौही
14	SHEETAL KUMARI	KALI RAM	27-11-83	FEMALE	GEN	60.42	राज.आयु.औष. पिण्डवाडा, सिरौही
15	DEEPIKA	DINESH KUMAR	04-07-88	FEMALE	GEN	60.38	राज.आयु.चिकि. जालौर
16	BALVINDER SINGH	MAHENDRA SINGH	13-08-83	MALE	OBC_NC	57.13	राज.आयु.औष. सैतरारु, बाडमेर
17	SAJJAN KALWANIA	HARJI RAM KALWANIA	12-08-82	FEMALE	OBC_NC	56.15	राज.आयु.औष. जायल, नागौर

कार्यालय का पता :- मुख्य भवन, कमरा नं. 4205 शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष नं. 0141-5116332

ई-मेल आई.डी. dsayurved@yahoo.in


D:\Ayurved\O P Verma\SANDEEP NEW LETTER DD.doc

1. उक्त नियुक्तियाँ माननीय उच्च न्यायालय की एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7291/15 जसप्रीत कौर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा याचिका संख्या 10398/13 अजय फूलवारिया व अन्य बनाम राजस्थान राज्य तथा डी.बी.सिविल याचिका संख्या 3152/2015 अशोक कुमार एवं इसके संलग्न अन्य 50 याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेश/अंतिम आदेश अध्याधीन मानी जायेगी।
2. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को अपने दस्तावेजों का सत्यापन निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर के यहाँ करवाने के उपरान्त ही कार्यग्रहण कर सकेंगे।
3. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी अपनी उपस्थिति संबंधित जिले के जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय में दिनांक 30.06.2016 तक निश्चित रूप से देनी होगी। नियत तिथि तक किसी अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में उक्त नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
4. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को निदेशक आयुर्वेद से दस्तावेज सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त एवं संबंधित की जन्म तिथि का सत्यापन एवं अन्य दस्तावेजों का प्रमाणीकरण मूल दस्तावेजों से करने के बाद ही संबंधित जिला आयुर्वेद अधिकारी अभ्यर्थी के कार्यग्रहण कराने के आदेश जारी करे।
5. संबंधित जिला आयुर्वेद अधिकारी इन्हें उपर्युक्तानुसार निर्दिष्ट पदस्थापन स्थान पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
6. परीवीक्षाकाल में यदि राज्य सरकार की राय में उपर्युक्त चिकित्सकों का कार्य या आचरण संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो राज्य सरकार इन्हें सेवा से विमुक्त कर सकेगी।
7. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को नियमानुसार पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट, चरित्र प्रमाण पत्र, संतान संबंधित प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, धूम्रपान निषेध प्रमाण पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु आवश्यक अन्य दस्तावेज कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति स्वास्थ्य परीक्षण, पूर्वाचरण रिपोर्ट तथा उनके द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक पाये जाने के अध्याधीन रहेगी।

—Sa—
(सेवा राम स्वामी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
4. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
5. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश में प्रदत्त निदेशों की पालना सुनिश्चित करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें।
7. संबंधित अभ्यर्थी मार्फत निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर।
8. रक्षित पत्रावली।


(ओम प्रकाश वर्मा)
सहायक शासन सचिव